न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 97/2022 – निगरानी

1. प्रेमचन्द जैन (ठग) पुत्र नेमीचन्द (ठग) जैन निवासी सदर बाजार, बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. शांति लाल जोशी पुत्र स्व. देबी लाल जोशी, पूर्व उप सरपंच बिजौलिया निवासी जोशीयों का मौहल्ला, बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. सचिव ग्राम पंचायत बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित –

1. निगराकार स्वयं उपस्थित
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.03.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार ग्राम बिजौलिया का निवासी है। ग्राम पंचायत बिजौलिया के व्यापार मण्डल योजना में भूखण्ड संख्या 111 स्थित है। इस भूखण्ड को ग्राम पंचायत बिजौलिया दिनांक 06.10.1981 को विक्रय कर पट्टा विलेख विपक्षी कम 01 के नाम पर जारी किया। भूखण्ड संख्या 111 को विक्रय करने में भारी अनियमितता बरती इस कारण भूमि विक्रय के प्रावधान जो ग्राम पंचायत अधिनियम में दे रखे थे उनकी पालना न करने के कारण गैर कानूनी होने से न्यायालय आप द्वारा विकय को निरस्त कर दिया है। जिसकी पंचायत की पत्रावली संख्या 116/2037 दिनांक 06.10.1981 है। इसी भूखण्ड को दिनांक 11.05.1990 को मुझे विक्रय करने का प्रस्ताव लेकर निगराकार से 1621/–रूपये प्राप्त कर रसीद दे दी है। भूखण्ड संख्या 111 का मौका पर्चा बनाकर मुझ निगराकार को सिपुर्दकर दिया तब ही निगराकार ने भूखण्ड पर चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल पत्थर की बनाकर कब्जा है और निगराकार के कब्जे में है। विपक्षी संख्या 02 ने अनियमितता बरत कर पुनः इसी भूखण्ड

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

स्थित है। इस भूखण्ड को ग्राम पंचायत बिजौलिया दिनांक 06.10.1981 को विक्रय कर पट्टा विलेख विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारी किया। भूखण्ड संख्या 111 को विक्रय करने में भारी अनियमितता बरती इस कारण भूमि विक्रय के प्रावधान जो ग्राम पंचायत अधिनियम में दे रखे थे उनकी पालना न करने के कारण गैर कानूनी होने से न्यायालय आप द्वारा विकय को निरस्त कर दिया है। इसी भूखण्ड को दिनांक 11.05.1990 को मुझे विक्रय करने का प्रस्ताव लेकर निगराकार से 1621/—रूपये प्राप्त कर रसीद दे दी है। भूखण्ड संख्या 111 का मौका पर्चा बनाकर मुझ निगराकार को सिपुर्दकर दिया तब ही निगराकार ने भूखण्ड पर चारों तरफ़ बाउण्ड्रीवाल पत्थर की बनाकर कब्जा है और निगराकार के कब्जे में है। विपक्षी संख्या 02 ने अनियमितता बरतकर पुनः इसी भूखण्ड को विपक्षी संख्या 01 के पिता उपसरंपच रहने का नाजायज लाभ उठाकर पुनः विपक्षी संख्या 01 को देने व पुनः नियमों के विपरित पट्टा जारी कर दिया जो ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत भूमि विक्रय के नियमों के विपरित होने से गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण ने जो पत्रावली कायम की वह सारी की सारी कार्यवाही फर्जी व बनावटी है और भूमि विक्रय के नियमों की पालना नही की है। विपक्षी संख्या 02 ने भूमि विक्रय के न तो प्रस्ताव लिया न मौका पर्चा बनाया न आपत्तियां मांगी। इन नियमों की पालना करना जरूरी था जो नही किया। विपक्षी संख्या 01 को जो पट्टा दिनांक 15.06.1991 को जारी किया उसमें सचिव के हस्ताक्षर नही है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत बिजौलिया में जो शपथपत्र दिनांक 18.05.1990 को पेश किया वह शपथपत्र आयुक्त से प्रमाणित नही है, न ही उस पर विपक्षी संख्या 01 शांति लाल का नाम व पिता का नाम अंकित है। विपक्षी संख्या 01 व्यापार मण्डल का सदस्य नही था, न मण्डी समिति बिजौलियां का कोई लाईसेन्स ही प्राप्त है, ऐसी अवस्था में भूखण्ड प्राप्त करने का अधिकारी नही था। तब भी विपक्षी संख्या 02 ने भूखण्ड देने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। निवेदन है कि प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा विपक्षी संख्या 01 पक्ष में पत्रावली संख्या 163/1990—91 में विक्रय व उसकी पालना में जारी पट्टा दिनांक 15.06.1991 को अपास्त फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत पटटा

कोई ठोस कारण अंकित किये पटटा निरस्तीकरण हेतु, बिना प्रमाणिक दस्तावेजात के प्रस्तुत की हैं, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगन पटटे की निगरानी प्रकरण में पटटा पत्रावली व पटटे से संबंधित साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव में प्रश्नगत पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी आधारहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)